



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48308

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या - 682/2026

शिव प्रकाश

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अमित कुमार राजपूत, मो. हलीम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आज़ाद रॉय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोषों की माँग करते हुए दायर की गई है:

"1. प्रत्यर्थी प्राधिकारी को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा वाद संख्या आरएसटी/0138/2025 कम्प्यूटरीकृत संख्या 202554022543030168 (जाफरुल हसन बनाम यू.पी. जगन्नाथ) में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 9-ए(2) के अंतर्गत दिनांक 11.04.2025 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



II. प्रत्यर्थी संख्या 2 को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे उनके समक्ष लंबित अपील संख्या 209/2025 (अमरनाथ एवं अन्य बनाम मोतीउल्ला एवं अन्य) को उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अल्पावधि के भीतर निर्णीत करें।"

3. यह निवेदन किया गया है कि यह मामला काफी लंबे समय से विचाराधीन है; तथापि इसे शीघ्रता से निर्णीत कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय उचित समझता है कि वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए वाद के गुण-दोष पर कोई संप्रेक्षण किए बिना वर्तमान रिट याचिका को अंततः निस्तारित किया जाए, चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निर्देश देते हुए कि वे उसे विधि के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, निर्णीत करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

10 मार्च, 2026

विनय